

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 306 / 2022

तारीख रजू:- 22.12.2022

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ जाति मीना निवासी गाँवडा मीना, तहसील हिण्डौन जिला करौली, (राज०)। ————— सायला

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र घण्टोली
2. प्रेमराज पुत्र घण्टोली
3. भूपेन्द्र कुमार पुत्र घण्टोली
4. लोकेश पुत्र घण्टोली
5. विनीता कुमारी पुत्री घण्टोली
6. सरदारसिंह पुत्र घण्टोली
7. हरपति पत्नि स्व० घण्टोली
8. अमरी पत्नि अमरसिंह
9. कमलेश पुत्री अमरसिंह
10. पप्पू पुत्र अमरसिंह
11. कल्ला पुत्र अमरसिंह
12. भवरू पुत्र अमरसिंह
13. मूरीलाल पुत्र अमरसिंह
14. विजय पुत्र अमरसिंह
15. हरकेश पुत्र अमरसिंह
16. मुकेश पुत्र श्रीमन
17. लहसनिया पुत्र श्री
18. सुशीला पत्नि मल्लीराम
19. कैलाशी पत्नि सरमन
20. केशराज पुत्र लखन

जातियान सभी मीना
निवासी गाँवडा मीना
तहसील हिण्डौनसिटी
जिला करौली राजस्थान।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

- 21 नरेश पुत्र लखन
- 22 हुकमबाई पत्नि स्व० लखन
23. भगतराम पुत्र घासी
24. गीता पत्नि भरतलाल
25. रिंकू पुत्र भरतलाल
26. रामोतार पुत्र भरतलाल
27. विनीता पुत्री भरतलाल
28. रामबाबू पुत्र घासी
29. बलराम पुत्र घासी
30. सुगनबाई पुत्री घासी
31. सूरजबाई पुत्री घासी
32. रामगिलाशी बेबा रामसहाय
33. मलकेश पुत्र रामसहाय
34. संतोष पुत्र रामसहाय
35. समरत पुत्र रामसहाय
36. निरमा पुत्री रामसहाय
37. विमलाबाई पत्नि भगतराम
38. हल्की पत्नि रामलाल
39. सुशीला पत्नि मल्लीराम
40. केशर पत्नि किन्दूरी
41. ख्यालो पुत्री किन्दूरी
42. भूरो पुत्री किन्दूरी
43. ललिता पुत्री किन्दूरी
44. राधामोहन पुत्र किन्दूरी
45. मुरारी पुत्र जयलाल
46. कैलाश पुत्र जयलाल
47. मुकलेश पुत्र जयलाल
48. वीरसिंह पुत्र जयलाल
49. मुर्की पुत्री जयलाल

जातियान सभी मीना
निवासी गॉवडा मीना
तहसील हिण्डौन सिटी
जिला करौली राजस्थान।

50. मुन्नी पुत्री जयलाल
51. चन्द्रा देवी पत्नि रूपसिंह
52. देवेश पुत्र रूपसिंह
53. जया पुत्री रूपसिंह
54. कृपालसिंह पुत्र गिरधारीलाल
55. हंसराज पुत्र मिठयालाल
56. रामकेश पुत्र रतीराम
57. फूलवती पत्नि रामकेश
58. पवन पुत्र रामकेश
59. हंसराज पुत्र मीठयालाल
60. नवल पुत्र श्रीफल
61. अजय पुत्र श्रीफूल

जातियान सभी मीना
निवासी गॉवडा मीना
तहसील हिण्डौनसिटी
जिला करौली राजस्थान।

62. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्श शाखा हिण्डौनसिटी जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय।
63. यूको बैंक शाखा हिण्डौन, जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय।
64. स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा हिण्डौन (एसबीआई) शाखा हिण्डौन सिटी।
65. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली- गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

- उपस्थित :- 1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट सायला
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं. 20 ता 22, 59
3. श्री मनोज कुमार शर्मा गैरसायल सं. 1 ता 19, 45 ता 54, 60, 61

निर्णय

दिनांक :- 6/10/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायला द्वारा उपरोक्त उनवानी दावा बाबत भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरुद्ध ठोस एवं मजबूत आधारों पर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 57 की आराजी खसरा नम्बर 685 रकवा 35 ऐयर, 687 रकवा 35 ऐयर, 688 रकवा 30 ऐयर, कुल किता 3


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कुल रकवा 1.00 है० बांके तन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन स्थित है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा है जिसे सायला काशत कर लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 25 की आराजी खसरा नम्बर 1120 रकवा 08 ऐयर बांके तन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन स्थित है जिसमें सायला का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है जिसे सायला काशत कर लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 55 का हाल खसरा नम्बर 926 रकवा 17 ऐयर बांके तन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें सायला का 1/2 हिस्सा है, सायला अपने हिस्से पर काबिज व काशत कर लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 56 के हाल खसरा नम्बर 1073 रकवा 09 ऐयर, 1121 रकवा 11 ऐयर, कुल किता 2 कुल रकवा 20 ऐयर बांके तन ग्राम गाँवडा मीना स्थित है जिसमें सायला का 1/2 हिस्सा है, जिसे सायला काशत कर लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 58 का हाल खसरा नम्बर 1534 रकवा 20 ऐयर बांके तन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन स्थित है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है सायला अपने हिस्से पर काबिज है एवं लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 29 का हाल खसरा नम्बर 1205 रकवा 4 ऐयर बांके तन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है सायला अपने हिस्से पर काबिज है एवं लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 242 का हाल खसरा नम्बर 1194 रकवा 18 ऐयर बांके तन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें सायला का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है सायला अपने हिस्से पर काबिज है एवं लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 30 का हाल खसरा नम्बर 1490 रकवा 4 ऐयर, 1492 रकवा 09 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 13 ऐयर बांके तन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दर्ज रिकॉर्ड है सायला अपने हिस्से पर काबिज है एवं लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 349 का हाल खसरा नम्बर 1483 रकवा 21 ऐयर, 1491 रकवा 8 ऐयर 1493 रकवा 03 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 32 ऐयर बांकेतन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें सायला का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है सायला अपने हिस्से पर काबिज है एवं लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 26 का हाल खसरा नम्बर 1678 रकवा 4 ऐयर, 860 रकवा 4 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 8 ऐयर बांकेतन ग्राम गाँवडा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है सायला अपने हिस्से पर काबिज है एवं लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि सायला व गैरसायलान ने उक्त आराजी का मौके पर बाहामी बटवारा कर रखा है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 685, 687, 688 कुल किता 3 कुल रकवा 1.00 है0 में से 25 ऐयर भूमि पर सायला काबिज है, खसरा नम्बर 1120 रकवा 8 ऐयर, 1121 रकवा 11 ऐयर में से 10 ऐयर भूमि पर सायला मौके पर काबिज है, खसरा नम्बर 860 रकवा 4 ऐयर, 926 रकवा 17 ऐयर पर सायला मौके पर काबिज है। तथा बाहामी बटवारे के अनुसार उक्त आराजी सायला के हिस्से में सभी सहखातेदारों में सहमति से दी है लेकिन सायला महिला है कमजोर है, सायला का पति बाहर दिल्ली में रहकर सरकारी नौकरी करता है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान सायला को आये दिन उसके कब्जेकाशत में बाधा उत्पन्न करते हैं, एवं सायला को जबरन लठ्ठ के बल पर बेदखल करने की धमकी देते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सायला को काशत नहीं करने देते हैं, सायला की बोई हुई फसल को ये लोग जबरन लठ्ठ के बल पर बनियत चोरी काटकर ले जाते हैं, जिसके कारण सायला अत्यन्त दुखी व परेशान रहती है, बार-बार बटवारे की कहने पर भी गैरसायलान बटवारे के लिये तैयार नहीं होते हैं काफी समझाने पर भी ये लोग बटवारा करने को तैयार नहीं हैं, तथा गैरसायल हंसराज व नरेश, केशराज आदि ने सायला के हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 1120 व 1121 में दो ट्रोली पत्थर लाकर डाल दिये एवं जबरन कब्जा करने की धमकी दी, इसलिये सायला को यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 ता 61 तक अपनी उक्त हरकतों से बाज नहीं आवेगें जब तक कि उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा, पाबंद न करने की सूरत में गैरसायल सं. 1 ता 61 अपने उक्त गैरकानूनी मकसद में कामयाब हो जावेगें जिसकी पूर्ति द्रव्य में भी संभव नहीं होगी एवं सायला का दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा एवं सायला को हकतलफी होगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सायला के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुख सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बखूबी रूप से प्रमाणित है।

अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायला स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अग्र के लिए पाबंद फरमाया जावेकि वे खसरा नम्बर 685 रकवा 35 ऐयर, 687 रकवा 35 ऐयर, 688 रकवा 30 ऐयर, 1120 रकवा 08 ऐयर, 926 रकवा 17 ऐयर, 1073 रकवा 09 ऐयर, 1121 रकवा 11 ऐयर, 1534 रकवा 20 ऐयर, 1205 रकवा 04 ऐयर, 1194 रकवा 18 ऐयर, 1490 रकवा 04 ऐयर, 1492 रकवा 09 ऐयर, 1483 रकवा 21 ऐयर, 1491 रकवा 08 ऐयर, 1493 रकवा 03 ऐयर, 1678 रकवा 04 ऐयर, 860 रकवा 04 ऐयर बांके तन ग्राम गाँवडा मीना, तहसील हिण्डौन मे से सायला के हिस्सा में उपयोग उपभोग कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, सायला की उक्त आराजी में अवैध अतिक्रमण कर कब्जा नही करें, पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायला के हक हकूक पर कोई विपरीत प्रभाव पडे, सायला को उसकी उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे। तथा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 21.04.2025 को गैरसायल सं० 23 ता 44, 56 ता 59, 62 ता 65 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल सं० 20, 21, 22 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा गैरसायल सं० 1 ता 19, 45 ता 54, 60, 61 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। गैरसायलान के अधिवक्तागण को जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा दिनांक 26.09.2025 को सीधे ही प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया।


उपरखण्ड/अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2072-75 किता 10 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस अवगत कराया है कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काशतकार है और रिकोर्डेड सहखातेदार काशतकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.04 है0, 860 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी केशराज पुत्र लखन हि0 1/12, चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि0 1/4, नरेश पुत्र लखन हि0 1/12, हुकमवाई पत्नि स्व0 लखन हि0 1/12, हल्की पत्नि रामलाल हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.21 है0, 1491 रकबा 0.08 है0, 1493 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी कृपालसिंह पुत्र गिरधारीलाल हि0 5/14, कैलाशी पत्नि सरमन हि0 1/8, चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि0 1/8, भरतलाल पुत्र घासी हि0 1/42, सुगनबाई पुत्री घासी हि0 1/42, सूरजबाई पुत्री घासी हि0 1/42, सुशीला पत्नि मल्लीराम हि0 1/8, सौमोतीदेवी पत्नि जयलाल हि0 1/21, हरप्यारी पत्नि घासी हि0 1/42, हंसराज पुत्र मीठ्यालाल हि0 1/8 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1490 रकबा 0.04 है0, 1492 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी कैलाशी पत्नि सरमन हि0 1/4, केशराज पुत्र लखन हि0 1/12, चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि0 1/4, नरेश पुत्र लखन हि0 1/12, सुशीला पत्नि मल्लीराम हि0 1/4, हुकमवाई पत्नि स्व0 लखन हि0 1/12, जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1194 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी कैलाशी पत्नि सरमन हि0 1/8, नाबालिग केशर पत्नि किंदूरी संरक्षक सरपरस्त माता हुकमबाई हि0 1/30, केशराज पुत्र लखन हि0 1/24, ख्यालो पुत्री किन्दूरी हि0 1/30, चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (कराली)

हि० 1/8, नरेश पुत्र लखन हि० 1/24, भगताराम पुत्र घासी हि० 1/42, भरतलाल पुत्र घासी हि० 1/42, भूरो पुत्री किंदूरी हि० 1/30, नाबालिग राधामोहन पुत्र किंदूरी सरंक्षक सरपरस्त माता केशर हि० 1/30, ललिता पुत्री किन्दूरी हि० 1/30, विमलाबाई पत्नि भगताराम हि० 1/6, सुगनबाई पुत्री घासी हि० 1/42, सूरजबाई पुत्री घासी हि० 1/42, सुशीला पत्नि मल्लीराम हि० 1/8, सौमोती देवी पत्नि जयलाल हि० 1/21, हुकमबाई पत्नि लखन हि० 1/24, हरप्यारी पत्नि घासी हि० 1/42 जाति मीना सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1205 रकबा 0.04 है० वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी केशराज पुत्र लखन हि० 1/12, चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि० 1/4, नरेश पुत्र लखन हि० 1/12, रामसहाय पुत्र गंगोली हि० 1/2, हुकमवाई पत्नि स्व० लखन हि० 1/12, जाति मीना सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1534 रकबा 0.20 है० वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि० 1/4, भगताराम पुत्र घासी हि० 1/42, भरतलाल पुत्र घासी हि० 1/42, रामबाबू पुत्र घासी हि० 1/42, रामसहाय पुत्र गंगोली हि० 1/4, वलराम पुत्र घासी हि० 1/42, विमलाबाई पत्नि भगताराम हि० 1/3, सुगनबाई पुत्री घासी हि० 1/42, सूरजवाई पुत्री घासी हि० 1/42, हरप्यारी पत्नि घासी हि० 1/42 जाति मीना सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.09 है०, 1121 रकबा 0.11 है० वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी कैलाशी पत्नि सरमन हि० 1/4, चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि० 1/2, सुशीला पत्नि मल्लीराम हि० 1/4 जाति मीना सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 926 रकबा 0.17 है० वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि० 1/2, हल्की पत्नि रामलाल हि० 1/2 जाति मीना सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी केशराज पुत्र लखन हि० 1/24, चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि० 1/8, नरेश पुत्र लखन हि० 1/24, भगताराम

पुत्र घासी हि० 1/21, भरतलाल पुत्र घासी हि० 1/42, रामबाबू पुत्र घासी हि० 1/42, रामसहाय पुत्र गंगोली हि० 1/4, वलराम पुत्र घासी हि० 1/42, विमलाबाई पत्नि भगताराम हि० 1/3, सुगनबाई पुत्री घासी हि० 1/42, सूरजबाई पुत्री घासी हि० 1/42, हुकमबाई पत्नि लखन हि० 1/24 जाति मीना सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।


नकल जमाबन्दी 2072-75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 0.35 है०, 687 रकबा 0.35 है०, 688 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी अजय कुमार पुत्र घंटोली हि० 1/504, अमरी पत्नि स्व० अमरसिंह हि० 1/72, कमलेश पुत्री अमरसिंह हि० 1/72, कल्ला पुत्र अमरसिंह हि० 1/72, कैलाशी पत्नि सरमन हि० 1/8, चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ हि० 1/4, पप्पू पुत्र अमरसिंह हि० 1/72, प्रेमराज पुत्र घंटोली हि० 1/504, भूपेन्द्र कुमार पुत्र घंटोली हि० 1/504, भंवरू पुत्र अमरसिंह हि० 1/72, मुकेश पुत्र श्रीमन हि० 1/4, मुरीलाल पुत्र अमरसिंह हि० 1/72, लहसनिया पुत्र श्री हि० 1/8, लोकेश पुत्र घंटोली हि० 1/504, विजय पुत्र अमरसिंह हि० 1/72, विनीता कुमारी पुत्री घंटोली हि० 1/504, सरदारसिंह पुत्र घंटोली हि० 1/504, सुशीला पत्नि मल्लीराम हि० 1/8, हरकेश पुत्र अमरसिंह हि० 1/72, हरपति पत्नि घंटोली हि० 1/504 जाति मीना सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.04 है०, 860 रकबा 0.04 है०, 1483 रकबा 0.21 है०, 1491 रकबा 0.08 है०, 1493 रकबा 0.03 है०, 1490 रकबा 0.04 है०, 1492 रकबा 0.09 है०, 1194 रकबा 0.18 है०, 1205 रकबा 0.04 है०, 1534 रकबा 0.20 है०, 1073 रकबा 0.09 है०, 1121 रकबा 0.11 है०, 926 रकबा 0.17 है०, 1120 रकबा 0.08 है०, 685 रकबा 0.35 है०, 687 रकबा 0.35 है०, 688 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन में सायला चन्द्रकला पत्नि जगन्नाथ मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है तथा सहखातेदार काश्तकार होने के कारण सायला अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत् गैरसायलान को दावे के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी साबित है। इस प्रकार सायला के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायला के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायला के पक्ष में साबित है। सायला का दावा बंटवारा का है। सायला का बंटवारा का दावा के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफँसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.04 है0, 860 रकबा 0.04 है0, 1483 रकबा 0.21 है0, 1491 रकबा 0.08 है0, 1493 रकबा 0.03 है0, 1490 रकबा 0.04 है0, 1492 रकबा 0.09 है0, 1194 रकबा 0.18 है0, 1205 रकबा 0.04 है0, 1534 रकबा 0.20 है0, 1073 रकबा 0.09 है0, 1121 रकबा 0.11 है0, 926 रकबा 0.17 है0, 1120 रकबा 0.08 है0, 685 रकबा 0.35 है0, 687 रकबा 0.35 है0, 688 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फँसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हेमसज गुर्जर) 6/10/25 -
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली